भारत पर फीफा द्वारा प्रतिबंध

हाल ही में **फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा)** ने देश के शीर्ष प्रशासनिक संगठन **अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ)** को तीसरे पक्ष द्वारा अनुचित प्रभाव के लिये निलंबित कर दिया।

- इस निलंबन ने 11-30 अक्तूबर तक होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के आयोजन का अधिकार देश से छीन लिया।

फीफा:

- **परिचय:**
    - फीफा या फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन दुनिया में फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है।
    - यह एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है।
    - फीफा एक गैर-लाभकारी संगठन है।
    - वर्ष 1904 में स्थापित फीफा को बेल्जियम, डेनमार्क, फ्राँस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रीय संघों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा की निगरानी के लिये लॉन्च किया गया था। फीफा में अब 211 सदस्य देश शामिल हैं।
    - इसका मुख्यालय **ज्यूरिख** में है।
- **उद्देश्य:**
    - फीफा का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का प्रसार करना तथा सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना है।
    - यह वर्ष 1930 में शुरू हुआ पुरुष विश्व कप तथा वर्ष 1991 में शुरू हुए महिला विश्व कप सहित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के संगठन और प्रचार के लिये ज़िम्मेदार है।
    - यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबद्ध है तथा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड का सदस्य भी है, जो फुटबॉल के नियमों को स्थापित करने के लिये ज़िम्मेदार है।
    - **फीफा से संबद्ध छह क्षेत्रीय संघ:**
        - एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लिये शासी निकाय है
        - अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ (सीएएफ) में 56 सदस्य हैं,
        - कन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल (CONCAF) में 41 सदस्य हैं,
        - **कन्फेडरेशन ऑफ सुदामेरिकाना डी फुटबोल (CONMEBOL)** 10 सदस्यों वाला दक्षिण अमेरिकी महासंघ है,
        - **ओशिनिया फुटबॉल महासंघ (OFC)** में न्यूज़ीलैंड सहित 14 सदस्य हैं,
        - **यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ (UEFA)** 55 सदस्यों के साथ यूरोप के लिये शासी निकाय है।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF):

- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) वह संगठन है जो भारत में फुटबॉल के खेल का प्रबंधन करता है।
- यह भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के संचालन का प्रबंधन करता है और कई अन्य प्रतियोगिताओं और टीमों के अलावा, भारत की प्रमुख घरेलू क्लब प्रतियोगिता **आई-लीग** को भी नियंत्रित करता है।
- AIFF की स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी, और वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में फीफा संबद्धता प्राप्त की थी।
- वर्तमान में इसका द्वारका, नई दिल्ली में कार्यालय है। भारत वर्ष 1954 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था।

फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) पर प्रतिबंध:

- **AIFF'S के अध्यक्ष द्वारा पद छोड़ने की अनिच्छा:**
  - अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जो फीफा परिषद के सदस्य भी हैं, ने देश में फुटबॉल के प्रमुख के रूप में अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया।
    - उन्होंने AIFF संविधान के संबंध में न्यायालयी मामले के साथ लंबे समय से चली आ रही महामारी का हवाला दिया।
- **तृतीय-पक्ष हस्तक्षेप:**
  - AIFF के कामकाज़ को लेकर बढ़ती चिंताओं के बावजूद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और **पटेल को उनके पद से हटा दिया।**
  - इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने AIFF को चलाने के लिये **प्रशासकों की समिति (COA)** भी नियुक्त की।
  - फीफा कानून के अनुसार, सदस्य संघों को अपने-अपने देशों में कानूनी और राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं होना चाहिये।
    - तृतीय-पक्ष हस्तक्षेप एक **ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें फीफा का सदस्य संघ स्वतंत्र रहने में विफल रहता है, सह-चुना जाता है और अब उसके संगठन पर नियंत्रण नहीं है।**
    - भारत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने AIFF के संचालन के लिये COA को निर्देश दिया था कि यह तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का एक मामला है।

भारत के संदर्भ में निलंबन का अर्थ:

- इसका अर्थ है कि भारत की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में भागीदारी नहीं होगी और यह देश के सभी **राष्ट्र-स्तरीय टीम एवं प्रत्येक आयु समूहों की क्लब टीमों पर लागू होता है।**
- निलंबन अंतर्राष्ट्रीय तबादलों के साथ-साथ किसी भी **विकासात्मक कार्यक्रमों को भी प्रभावित** करता है जो AIFF के अधिकारियों का कार्य क्षेत्र था या वे जिसमें भाग ले रहे थे।
- इसका अर्थ है कि भारत के बाहर **फुटबॉल से संबंधित सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध** लगा दिया गया है।

भारत द्वारा प्रतिबंध हटाने के संभावित उपाय:

- फीफा के अनुसार AIFF पर से प्रतिबंध हटाने के लिये उसे निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है:
  - COA के अधिदेश को **पूर्णतया निरस्त** करना होगा।
  - AIFF प्रशासन को एक बार फिर से अपने दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिये स्वतंत्र प्रभारी बनाया जाए।
  - AIFF के नियम और कानूनों को फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) की नीतियों की शर्तों पर संशोधित किये जाने की आवश्यकता है और इसके सदस्यों का चुनाव वर्तमान AIFF सदस्यता संरचनाओं पर ही हो जो केवल राज्य के संघों पर आधारित हो।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/fifa-ban-on-india